न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	169/2017
GSMS प्रकरण संख्या	2013/01130
वाद दायर दिनांक	04.09.2017
वाद निर्णय दिनांक	8.4.2021

उनवान

(1) श्री सम्पतलाल पि.गोपाल जाति दरोगा नि.शंभूगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(2) श्री राजूलाल पि.गोपाल जाति दरोगा नि.शंभूगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(3) माया पुत्री गोपाल जाति दरोगा नि.शंभूगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(4) प्रेमदेवी पत्नि गोपाल जाति दरोगा नि.शंभूगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादीगण

बनाम

(1) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादी

उपस्थित वकील वादीगण	श्री विजय कुमार टेलर
उपस्थित वकील प्रतिवादी	श्री पैरोकार सरकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 RTA 1955 व धारा 136 LRA 1956

आदेश

(1) वादीगणों द्वारा वाद-पत्र माध्यम अधिवक्ता पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि निम्नांकित कृषि भूमि का आवन्टन दिनांक 06.05.1977 को वादी संख्या 1 से 3 के पिता व वादी संख्या 4 के पति श्री गोपाल पि.कजोड़ दरोगा के नाम पर किया जाकर जरिये नामान्तरण संख्या 1159 दिनांक 11.09.1978 से भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड की गयी –

ग्राम का नाम	संवत	आ.नं.	रकबा
शंभूगढ़	2033-2036	1696 मीं	८II)१

स्वर्गीय गोपाल पि.कजोड़ द[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:13:56 IST
Reason: SelfAttested

गोपाल दरोगा (फौत)

सम्पतलाल (पुत्र) | राजूलाल (पुत्र) | माया (पुत्री) | प्रेमदेवी (पत्नि)

(2) उक्त आवन्टित भूमि पर गोपाल दरोगा का अपने जीवनकाल में लगातार कब्जा चला रहा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात से ही उसके वारिसान होने के नाते वादीगण का कब्जा चला आ रहा है।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(3) नवीन सेटलमेंट के दौरान उक्त साबिक आराजियात के निम्न नये नम्बर सेटलमेंट विभाग द्वारा कायम किये गये है –

हाल आ.नं.	रकबा	गत आ.नं.	रकबा
१०२९	०.२४	१६९६ मी	
१०३०	०.७७	१६९६ मी	८।।)१
१०३६	०.६९	१६९६ मी	

उक्त नये आराजी नम्बरों में से आ.नं.1030 तथा 1036 को वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज कर दिये गये परन्तु आ.नं.1029 रकबा 0.24 हैक्टेयर को बिलानाम दर्ज कर दिया जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई विधिक अधिकार नहीं था। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सेटलमेन्ट विभाग ने वादीगण की खातेदारी आराजी में से रकबा कम करते हुये एक आराजी नम्बर 1029 रकबा 0.24 हैक्टर को बिलानाम दर्ज कर दिया जिसे वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती करवाते हुये अपने नाम खातेदारी हक की घोषणा करवाने के पूर्ण रूप से अधिकारी है।

(4) वादग्रस्त हाल आ.नं.1029 रकबा 0.24 वादीगण के पिता / पति को आवन्टित होकर उनके कब्जे काश्त में चली आ रही थी वर्तमान में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादीगण नें फसल काश्त कर रखी है। सेटलमेंट अधिकारियो की लापरवाही के कारण वादग्रस्त आ.नं.1029 रकबा 0.24 हैक्टर को बिलानाम गै.मु.रास्ता दर्ज कर दिया गया जिसे वादीगण श्री गोपाल दरोगा के विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। इस प्रकार वादीगण को हाल आ.नं.1029 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती करायी जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करायी जाकर घोषणात्मक डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है।

(5) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्द प्रतिवादी इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जावे कि ग्राम शंभूगढ़ पटवार हल्का शंभूगढ़ के हाल बिलानाम आ.नं.1029 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि का इन्द्राज दुरूस्ती फरमाते हुये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाते हुये राजस्व रेकार्ड में वादीगण के खाते में दर्ज की जावें।

(6) प्रस्तुत वादपत्र बाद जांच पत्रावली संख्या 169/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सरकार के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वकील वादीगण व पैरोकार सरकार उपस्थित है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रेषित जवाब –दावा दिनांक 22.07.2019 को शामिल पत्रावली किया गया।

(7) वाद पत्र में निम्नानुसार तनकी कायम की जाकर तनकी पर्चा स्वीकार किया गया –

तनकी नम्बर -1	आया वादीगण के पूर्वज गोपाल के नाम पर ग्राम शंभूगढ़ में साबिक आ.नं.1696 मीं रकबा ८।।)१ भूमि आवन्टित हुई थी ? — वादी गण
तनकी नम्बर -2	आया उक्त साबिक आराजी नम्बर 1696 मीं के नये नम्बर 1029,1030,1036 कायम किये गये ? — वादीगण
तनकी नम्बर -3	आया कि दौराने सेटलमेन्ट आराजी नम्बर 1029 रकबा 0.24 हैक्टर को वादीगण की खातेदारी दर्ज नहीं की जाकर बिलानाम गै.मु.रास्ता दर्ज कर लिया गया था — वादीगण
तनकी नम्बर -4	आया कि वादीगण आ.नं.1029 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि के खातेदारी डिक्री पाये जाने का अधिकारी है। — वादीगण
तनकी नम्बर-5	आया कि प्रतिवादी द्वारा उठाये गये उत्तर –ऐतराज से द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज होने योग्य है —प्रतिवादी
तनकी नम्बर -6	अनुतोष ?

(8) वकील वादीगण द्वारा वाद-पत्र के समर्थन मे निम्न गवाहान के बयान कलमबद्ध करवाये तथा निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये

नाम गवाह / दस्तावेजात	EXP
खाली सिवायचक भूमि का आवन्टन आदेश	EXP-1/01.03.2021
जमाबन्दी ग्राम शंभूगढ़ संवत 2033-2036	EXP-2 /01.03.2021
खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय ग्राम शंभूगढ़ संवत 2038-2041	EXP-3 /01.03.2021
ग्राम शंभूगढ़ मिलान-क्षैत्रफल	EXP-4/01.03.2021
जमाबन्दी ग्राम शंभूगढ़ संवत 2050	EXP-5 /01.03.2021
जमाबन्दी ग्राम शंभूगढ़ संवत 2069-2072	EXP-6 /01.03.2021
नक्शा ट्रेस ग्राम शंभूगढ़	EXP-7 /01.03.2021
जमाबन्दी ग्राम शंभूगढ़ संवत 2069-2072	EXP-8 /01.03.2021
बयान श्री राजूलाल पि.गोपाल दरोगा नि.शंभूगढ़	PW-1 /01.03.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:13:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(9) वकील वादीगण की इस्तदुआ पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादीगण ने वक्त बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण के पिता /पति के नाम आवन्टित भूमि को बिना किसी विधिक अधिकार के भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बिलानाम दर्ज कर दिया गया है जिसमें खातेदारी घोषित किया जाना न्यायसंगत होने से उक्त वादग्रस्त बिलानाम आराजी नम्बर 1029 में वादीगणों को खातेदार घोषित करने की डिक्री पारित फरमावें। उक्त भूमि पर आवन्टिती का तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। अतः वाद-पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम शंभूगढ़ के उक्त वादग्रस्त आ.नं.1029 रकबा 0.24 हैक्टर मे वादीगण को खातेदार घोषित करने की डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया है।

(10) पैरोकार सरकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम शंभूगढ़ के वादग्रस्त आ.नं.1029 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज रेकार्ड है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अतः वादीगण का वाद-पत्र खारिज योग्य होने से वाद –पत्र को खारिज किया जाना फरमावें।

(11) बहस विद्वान अधिवक्ता उभय-पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है –

तनकी नम्बर -1	वादीगण द्वारा प्रेषित भूमि आवन्टन आदेश तथा जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 के अनुसार स्पष्ट है कि आवन्टिती श्री गोपाल पि.कजोड दरोगा नि.शंभूगढ़ को साबिक आ.नं.१६९६मी रकबा ८।।)१ आवन्टित की जाकर जरिये नामान्तरण संख्या 1159 दिनांक 11.09.1978 से गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड की गयी।
तनकी नम्बर -2	वादीगण द्वारा प्रेषित मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आ.नं.1696 मीं के नये आ.नं.1029,1030,1036 कायम किये गये है।
तनकी नम्बर -3	भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान ग्राम शंभूगढ़ के वादग्रस्त आ.नं.1029 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि को बिलानाम दर्ज करने का कोई आधार राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित नहीं होने से बिना किसी विधिक कारण के भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजी को बिलानाम दर्ज कर दिया जाना प्रतीत होता है।
तनकी नम्बर -4	वादीगण के पिता / पति को आवन्टित आ.नं. आ.नं.१६९६मी रकबा ८।।)१ के नये भूप्रबन्ध में आ.नं.1029 रकबा 0.24,1030 रकबा 0.77 व आ.नं.1036 रकबा 0.69 कायम किये जाकर आ.नं.1030 व 1036 किता 2 रकबा 1.46 हैक्टर भूमि वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड कर दी गयी है किन्तु आ.नं.1029 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि वादीगण के खाते में दर्ज नहीं की जाकर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जाना प्रतीत होता है। अतः वादग्रस्त आ.नं.1029 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि का साबिक खसरा नम्बर से मिलान होने तथा वादीगण का निर्बाध कब्जा होने से वादीगण खातेदारी डिक्री पाये जाने के अधिकारी है।
तनकी नम्बर-5	पैरोकार सरकार द्वारा 80(2) CPC का नोटिस नहीं दिये जाने बाबत् आपत्ति की गयी है। इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर ही मूल-वाद पंजीबद्द किया गया था।
तनकी नम्बर -6	उक्त सभी तनकियात वादीगण के पक्ष में पायी जाने से उनका निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–:क्रियात्मक निर्णय :–

अतः वादीगण द्वारा माध्यम अधिवक्ता प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 RTA 1955 व धारा 136 LRA 1956 स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण डिक्री किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:13:56 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	नाम ग्राम	आ.नं.	कुल रकबा	रकबा जिसमें खातेदार घोषित किया गया
1	शंभूगढ़	1029	0.24	सम्पूर्ण
कुल योग		किता 1	0.24	0.24

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 8.4.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलेक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	169/2017
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2013/01130
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	04.09.2017
प्रकरण निर्णित होने की दिनांक	8.4.2021

उनवान

(1) श्री सम्पतलाल पि.गोपाल जाति दरोगा नि.शंभूगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(2) श्री राजूलाल पि.गोपाल जाति दरोगा नि.शंभूगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(3) माया पुत्री गोपाल जाति दरोगा नि.शंभूगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(4) प्रेमदेवी पत्नि गोपाल जाति दरोगा नि.शंभूगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादीगण

बनाम

(1) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजयकुमार टेलर तथा प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद-पत्र के आज तारीख 8.4.2021 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि –

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम शंभूगढ़ पटवार हल्का शंभूगढ़ तहसील आसीन्द की सरहद में स्थित निम्नांकित कृषि भूमि में वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावें -

क्र.सं.	नाम ग्राम	आ.नं.	कुल रकबा	रकबा जिसमें खातेदार घोषित किया गया
1	शंभूगढ़	1029	0.24	रकबा सम्पूर्ण

इस वाद के खर्चे लेखे ---××××--- रुपये की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर ---××××---प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ---××××---द्वारा ---××××---वादी को दिया जावे।

यह आज तारीख -8.4.2021----- को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

वाद के खर्चे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:13:56 IST
Reason: SelfAttested

वदी	रूपये	पैसे		रूपये	पैसे
1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प	2		शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प		
2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	1		अर्जी के लिए स्टाम्प		
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	3		प्लीडर की फीस	–	
4.रूपयें पर प्लीडर की फीस	–		सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–		आदेशिका की तामील	–	
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	1		कमिश्नर की फीस	–	
7. आदेशिका की तामील	–			–	
योग	7		योग	–	

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा